संख्या-9 / 2017 / 1448 / एक-4-2017-रा0-4

प्रेषक,

धीरज पाण्डे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0,लखनऊ।
2-जिलाधिकारी, औरैया, बागपत, श्रावस्ती, वाराणसी, मुरादाबाद, फैजाबाद, सम्भल, बलरामपुर, कानुपर देहात।

राजस्व अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 19 सितम्बर,2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला प्रशासन हेतु निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 मे जिला प्रशासन अर्न्तगत प्राविधानित धनराशि रूपये 500 लाख में से अवशेष धनराशि रूपयें 3,2286,941/- में से 09 जनपदों के जिलाधिकारियों हेतु परिशिष्ट-क के अनुसार 09 इनोवा क्रिस्टा 07 सीटर प्रतिवाहन रूपये-12,65,539/- की दर से कुल रूपये-1,13,89,851/- (रूपये एक करोड़ तेरह लाख नवासी हजार आठ सौ इक्यावन मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों का क्रय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे तथा वाहन के प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(2) उक्त वाहनों का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अर्न्तगत ही किया जायेगा।

(3) भारत सरकार द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर अनुबन्ध की व्यवस्था समाप्त करते हुए गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लस जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की व्यवस्था प्रतिपादित किये जाने का उल्लेख है। उक्त वाहनो का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही जी0ई0एम0 पोर्टल/प्रोफार्मा इनवाईस की दरों पर ही किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक-2053-[redacted]-093- जिला स्थापनाएं-03-कलेक्टरी स्थापना-14-मोटर गाडियों का क्रय मद से किया जायेगा।

3- [redacted]त धनराशि से संबंधित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-ई-5-667/दस-2017 दिनांक; 19 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(धीरज पाण्डे)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या-9/2017/1448(1)एक-4-17-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय),उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) (प्रथम/द्वितीय),उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- सम्बन्धित कोषाधिकारी।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5

5- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2।

6- राजस्व अनुभाग-6

7- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(धीरज पाण्डे)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट-क

शासनादेश संख्या-09/2017/1448/एक-4-2017 दिनांक, 19 सितम्बर ,2017 का संलग्नक।

क्र	जनपद	निष्प्रयोज्य वाहन का न0	अनुमन्य वाहन	निर्धारित मूल्य
1	2	3	**4**	**5**
1	जिलाधिकारी, औरैया	यू0पी0-79जी-0070एम्बेसडर	इनोवा क्रिस्टा 07 सीटर	12,65,539/-
2	जिलाधिकारी, बागपत	यू0पी0-17जी-0099एम्बेसडर	इनोवा क्रिस्टा 07 सीटर	12,65,539/
3	जिलाधिकारी, श्रावस्ती	यू0पी0-46-बी-0001एम्बेसडर	इनोवा क्रिस्टा 07 सीटर	12,65,539/
4	जिलाधिकारी, वाराणसी	यू0पी0-65-एक्स-0001एम्बेसडर	इनोवा क्रिस्टा 07 सीटर	12,65,539/
5	जिलाधिकारी, फैजबाद	यू0पी0-42-एजी- 0300एम्बेसडर	इनोवा क्रिस्टा 07 सीटर	12,65,539/
6	जिलाधिकारी, मुरादाबाद	यू0पी0-21-एजी-0002एम्बेसडर	इनोवा क्रिस्टा 07 सीटर	12,65,539/
7	जिलाधिकारी, सम्भल	यू0पी0-21-एच-0009एम्बेसडर	इनोवा क्रिस्टा 07 सीटर	12,65,539/
8	जिलाधिकारी, बलरामपुर	यू0पी0-47-जी-1000एम्बेसडर	इनोवा क्रिस्टा 07 सीटर	12,65,539/
9	जिलाधिकारी, कानपुर देहात	यू0पी0-77-जी-0111एम्बेसडर	इनोवा क्रिस्टा 07 सीटर	12,65,539/
			योग	**1,13,89,851/-**

(रूपये एक करोड़ तेरह लाख नवासी हजार आठ सौ इक्यावन मात्र)

(धीरज पाण्डे)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।